कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा / ब / 22803 / 2018 / 117 दिनांक : 24 / 07 / 2018

(1) समस्त उप निदेशक (माध्यमिक / प्रारम्भिक)
शिक्षा विभाग

(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक / प्रारम्भिक)– प्रथम / द्वितीय

विषय :– राज्य / मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान– 2018

सन्दर्भ :– शासन के पत्रांक : प.18(2) शिक्षा–2 / 2014, जयपुर, दिनांक : 25.02.2015 एवं प.18(2) शिक्षा–2 / 2016, जयपुर, दिनांक : 08.06.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 12.07.18 द्वारा राष्ट्र / राज्य / मण्डल स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाकर तद्नुसार निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देशों में नवीन शासकीय निर्देशों के क्रम में "राज्य / मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान–2018" की सीमा तक प्रदत्त समस्त निर्देश प्रत्याहरित किए जाते हैं तथा उक्त निर्देश पत्र दिनांक : 12.07.18 में "राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017" के सम्बन्ध में वर्णित समस्त निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे। सन्दर्भित पूर्व प्रदत्त शासकीय स्वीकृति के अनुरूप "राज्य / मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान–2018" हेतु एतद् द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं :–

प्रस्तावना :– राज्य / मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान योजना में शिक्षा विभाग में अध्ययन–अध्यापन की उत्कृष्टता में सतत् सुधार एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य / मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान दिया जाना प्रस्तावित है। इन पुरस्कारों के मूल उद्देश्य में छात्रों को केन्द्रित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता एवं स्तर उच्च हो, शिक्षा में वृद्धि हो तथा छात्रों को सीधा लाभ प्राप्त हो सके और शिक्षकगणों को शिक्षा के अध्ययन–अध्यापन के साथ–साथ शिक्षा प्रबन्धन में गहन रूचि सतत् रूप से उत्पन्न होती रहे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तर पर वरीयतानिर्धारण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित किए जाने के निर्देश जारी किये जाते हैं :–

{1} **सामान्य निर्देश :–**

(अ) सम्मान हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष दक्षता रखने वाले समर्पित शिक्षकों के प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किये जाएं :–

(1) स्थानीय समाज, अभिभावकों व विद्यार्थियों में प्रतिष्ठा प्राप्त।
(2) नामांकन बढ़ानें में विशेष सफलता प्राप्त।
(3) विद्यालय भवन निर्माण के साधन–सुविधा बढ़ाने हेतु जनसहयोग प्राप्त करना।
(4) उच्च कोटि का अध्यापन कार्य।
(5) अध्ययन के क्षेत्र में नवीन विधियों व तकनीकी का प्रयोग।
(6) उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम एवं उसमें गुणात्मक सुधार।
(7) शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों / शोधों / आलेखों का प्रकाशन।

(ब) इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों को संलग्न शिक्षक सम्मान हेतु सूक्ष्म चयन अंक योजना के अनुसार देय अंकों के आधार पर वरीयता बनाकर **प्रथम बारह स्थान** प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित शिक्षकों का आधारभूत आकलन (ग्राउण्ड एसेसमेन्ट) करवाया जावे। **संलग्न परिशिष्ट –2**

(स) आधारभूत आकलन (ग्राउण्ड एसेसमेन्ट) के उपरान्त वरीयता में **प्रथम चार स्थान** पर आने वाले शिक्षकों के प्रस्ताव चार प्रतियों में सम्बन्धित उपनिदेशक कार्यालय को प्रेषित किए जावें।

(द) विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य के लिए दो "स्पेशल अवार्ड" राज्य स्तर पर देय है। इसके लिए **विशेष योग्यजन शिक्षकों द्वारा विशेष योग्यजन छात्रों के लिए शिक्षा में अथवा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सामान्य शिक्षक, जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र मे सेवाएं दे रहे है, इन "स्पेशल अवार्ड" के लिए पात्र होंगे।** इस हेतु पात्र प्रस्तावों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वरीयता बनाकर **प्रथम स्थान** प्राप्त शिक्षक का प्रस्ताव पांच प्रतियों में सम्बन्धित उप निदेशक कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

(य) प्रस्ताव तैयार करने में क्षेत्रीय भाषाओं के उत्कृष्ट शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों के प्रस्तावों को भी सम्मिलित किया जावे।

(र) यह विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि प्रारम्भिक शिक्षा की श्रेणी में कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करवाने वाले समस्त शिक्षकों को सम्मिलित किया जाना है, भले ही वे माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) में कार्यरत हों एवं उनके परीक्षा परिणाम की गणना हेतु विद्यालय में सम्बन्धित सत्र में कक्षा– 5 एवं 8 में अध्यापन विषय के परीक्षा परिणाम को ही आधार माना जाएगा।

(ल) प्रस्तावों की समीक्षा कर सभी प्रस्ताव, उप निदेशक (माध्यमिक) द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को **तीन प्रतियों में** एवं उप निदेशक (प्रारम्भिक) द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को **समयबद्ध पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इस में किसी भी प्रकार की शिथिलता नही बरती जावे।**

(व) उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) का दायित्व है कि वह अपने मण्डल के प्रस्ताव अनिवार्यतः निर्धारित समय में निदेशालय को उपलब्ध कराए।

{2} **जिला चयन समिति :–**

जिला स्तर पर चयन समिति का गठन निम्नानुसार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक) अपने–अपने क्षेत्राधिकार के लिए करेंगे :–

(1)	जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
(3)	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(4)	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त) (मण्डल अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाने हैं)	सदस्य (कोई दो)

चयन समिति के गठन में निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखा जावे :–

- जिला स्तरीय चयन समिति में ऐसे प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को मनोनीत नहीं किया जाए, जिसका नाम सम्मान हेतु विचारणीय है।
- जिला स्तरीय चयन समिति का गठन उपर्युक्तानुसार ही होना चाहिए। इसके अभाव में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा व जांच करने का कार्य सम्बन्धित उप निदेशक का ही है।

{3} **परिशिष्ट :–**

(अ) राज्य/मण्डल स्तरीय सम्मान के लिए शिक्षक की सिफारिश हेतु निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–1) संलग्न है।

(ब) उक्त प्रपत्र के भाग क,ख एवं ग की पूर्तियां जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक/संस्था प्रधान के रिकार्ड, व्यक्तिगत पंजिका, पढ़ाए जाने वाले विषयों के परीक्षा परिणाम/विद्यालय का परीक्षा परिणाम, सेवा पुस्तिका तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की टिप्पणियां आदि स्त्रोतों से की जाए। इसके साथ सभी सूचनाएं, प्रशंसा/प्रशस्ति/पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियां, शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियां, प्रकाशित पुस्तकों/लेख/साहित्य इत्यादि की पुष्टि के लिए अभिलेख संलग्न किए जाएं। **(संलग्न परिशिष्ट–3)**

(स) प्रपत्र के भाग "क" का कॉलम संख्या–13 मूल सेवा रिकार्ड से सम्बन्धित है। इस भाग की सभी पूर्तियां भी करनी है। **सेवा विवरण परिशिष्ट–4 में अंकित करना है।**

(द) प्रपत्र के भाग "घ" में जिला चयन समिति की सिफारिश की जाए। इस पर जिला चयन समिति के अध्यक्ष एवं चारों सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

(य) शिक्षक द्वारा अर्जित योग्यताओं का विवरण **परिशिष्ट–5 में अंकित किया जाए।**

(र) शिक्षक से किसी प्रकार का प्रपत्र नहीं भरवाया जाए और न ही सम्बन्धित को यह बताने की आवश्यकता है कि उनका नाम पुरस्कार हेतु अनुशंसित किया जा रहा है। अनुशंसा नितांत निष्पक्ष और न्यायोचित होनी चाहिए।

(ल) प्रपत्र के सभी भाग क,ख,ग एवं घ तैयार करने में **पूर्णतया गोपनीयता बरती जाए।**

(व) ''विशेष शिक्षा में योगदान'' श्रेणी में प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु **(परिशिष्ट–12)** संलग्न है।

{4} पात्रता :–

(अ) इस सम्मान हेतु प्रारम्भिक/माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक ही पात्र हैं।

(ब) राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए विद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में कार्यरत शिक्षक पात्र हैं, बशर्ते वे विगत 5 वर्षों में से न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा विद्यालयों में अध्यापन कार्य सहित पात्रता हेतु निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करते हों।

(स) जिन शिक्षकों के विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कानूनी कार्यवाही पूर्व में चली हैं एवं वे दण्डित हुए हैं अथवा वर्तमान में विचाराधीन है, तो वे इस सम्मान हेतु अपात्र है।

(द) **उन्हीं शिक्षकों के प्रस्ताव अनुशंसित किए जावें, जिन्होंने पिछले पांच वर्षो में से कम से कम तीन वर्ष विद्यालय में शिक्षण कार्य किया हो।**

(य) सामान्यतः सेवानिवृत्त हो जाने पर शिक्षक राज्य स्तरीय सम्मान के पात्र नहीं होते हैं, किन्तु जिस वर्ष सम्मान दिया जाना है, उस वर्ष में कम से कम 4 माह तक अर्थात् इस वर्ष 2018 में 30 अप्रेल तक सेवारत शिक्षकों/संस्था प्रधानों के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है और प्रस्ताव अनुशंसित किए जा सकते हैं।

(र) जिन शिक्षकों के प्रस्ताव गत वर्ष अथवा पहले भेजे गये थे, यदि वे अब भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो उन पर पुनः विचार किया जा सकता है और पुनः प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसित किए जा सकते हैं।

{5} सेवा अवधि :–

(अ) मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के लिए 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव, जबकि प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों के लिए 20 वर्ष का शिक्षण अनुभव अपेक्षित है। यहां यह ध्यान रखा जावे कि शिक्षक–प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक द्वारा ***"गत पांच वर्षो में से तीन वर्ष विद्यालय में शिक्षण कार्य किया गया हो।"***

(ब) समेकित शिक्षा (विशेष योग्यजनों के लिए शिक्षा) को उन्नत करने वाले शिक्षकों के लिए 10 वर्ष तथा संस्था प्रधानों के लिए 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव अपेक्षित है।

(स) जिस वर्ष के लिए सम्मान दिया जाना है, उसके गत वर्ष के 31 दिसम्बर तक वांछित शिक्षण अनुभव पूर्ण होना आवश्यक है।

{6} महिला शिक्षक :–

महिला शिक्षकों को सम्मानित करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों में यथायोग्य प्राथमिकता दी जावे।

{7} नामांकन अभिवृद्धि :–

छात्रों के नामांकन अभिवृद्धि हेतु उत्प्रेरण की दृष्टि से उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जावे, जिन्होंने एक शैक्षिक सत्र में छात्र/छात्रा नामांकन में सर्वाधिक लक्ष्य प्राप्त किया है। नामांकन अभिवृद्धि का अभिलेख पूर्णरूप से संलग्न होना चाहिए। इसमें महिला

शिक्षकों द्वारा जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों एवं क्षेत्रों में कार्यरत हों तथा नामांकन, साक्षरता, परिवार कल्याण के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जावे।

{8} परीक्षा परिणाम :–

(अ) परीक्षा परिणाम गत पांच वर्षो के अंकित किए जाएं।

(ब) शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों के तथा संस्था प्रधान का विद्यालय का समग्र परीक्षा परिणाम ही मान्य हैं। **पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को इसमें सम्मिलित नही किया जावे, केवल मुख्य परीक्षा का परिणाम शामिल करें।**

(स) एस.यू.पी.डब्ल्यू./कला शिक्षा/कम्प्यूटर शिक्षा/शारीरिक शिक्षा विषयों के गृह परीक्षा/बोर्ड परीक्षा परिणाम अमान्य हैं।

(द) शिक्षक के परीक्षा परिणामों का उल्लेख प्रपत्र के भाग "क" की क्रम संख्या–13 के कॉलम–8 तथा भाग "ख" के क्रम संख्या–17 में विशेष रूप से करें। इसकी पुष्टि के लिए अधिकृत अधिकारी का प्रमाणित किया हुआ विवरण **परिशिष्ट–6 में अंकित करें।**

(य) शारीरिक शिक्षकों के प्रकरणों में परीक्षा परिणाम के स्थान पर विभिन्न स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में गत पांच वर्षो में प्राप्त की गई उपलब्धियों के अनुरूप सूक्ष्म अंक योजना के अनुसार अंक देय होंगे। **(परिशिष्ट–10)**

{9} विभागीय जांच/कानूनी कार्यवाही सम्बन्धी प्रमाण–पत्र :–

जिला स्तर पर चयन पश्चात् अनुशंसित किए जाने वाले शिक्षकों के सेवाभिलेखों की बहुत सावधानीपूर्वक विस्तृत जांच की जावे। अनुशंसित किये जाने वाले शिक्षक के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय जांच या कानूनी कार्यवाही पूर्व में ना ही चली है तथा ना ही दण्ड दिया गया है और ना ही वर्तमान में विचारधीन है, उक्त सम्बन्धी **प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी** द्वारा प्रत्येक शिक्षक की पंजिका के साथ **परिशिष्ट–7** के अनुसार संलग्न किया जावे। इसी प्रकार गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए भी संस्था के सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त कर **परिशिष्ट–8** के अनुसार संलग्न किया जावे।

{10} शिक्षक का फोटो :–

शिक्षक के प्रत्येक प्रपत्र के भाग "क" के ऊपर हाल ही के पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो चिपकानी है। इसके अलावा एक फोटो लिफाफे में अलग से संलग्न करें। फोटो के पिछले भाग में शिक्षक का नाम, पद, जन्म तिथि, पूरा पता अंकित किया जाए। ध्यान रहे, फोटो 6 माह से पुराना नही हो।

{11} वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन :–

(अ) प्रत्येक शिक्षक को विगत पांच वर्षों के मूल वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के आधार पर अंक प्रदान किए जावें।

(ब) शिक्षकों एवं वरिष्ठ शिक्षकों (वरिष्ठ अध्यापक/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक) के मूल वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तावों के साथ संलग्न करने हैं एवं व्याख्याताओं और संस्था प्रधानों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के समग्र मूल्यांकन की स्थिति निदेशालय से वाहक स्तर पर प्राप्त कर तदनुसार अंक प्रदान करने हैं।

(स) गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के प्रति वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के स्थान पर संस्था सचिव से प्रति वर्ष का समग्र मूल्यांकन उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा में से किसी एक स्केल में प्राप्त कर परिशिष्ट–9 के अनुसार संलग्न करना है।

{12} जनसहयोग :–

(अ) शिक्षक द्वारा मात्र अपने कार्यकाल के दौरान जिस विद्यालय में पदस्थापित रहे हैं, केवल उन्ही विद्यालयों के लिए ही जनसहयोग से कराये गये कार्य ही मान्य हैं।

(ब) सांसद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जनसहयोग की श्रेणी में नहीं आते हैं।

(स) एक ही भवन/खेल मैदान अथवा अन्य प्रकार के जनसहयोग के लिए एक से अधिक शिक्षक को सम्मानित किए जाने की अनुशंसा नहीं की जावे।

(द) सामग्री/नकद प्राप्ति का प्रमाण–पत्र दानदाता द्वारा देय होना चाहिए, जो संस्था प्रधान द्वारा प्रति हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा और निर्माण कार्य में लागत का प्रमाण–पत्र राजकीय सेवा/स्थानीय निकाय में कार्यरत अभियन्ता (कम से कम कनिष्ठ अभियन्ता स्तर) द्वारा दिए जाने पर ही मान्य होगा। स्थाई सामग्री (Permanant Artical) की स्टॉक एन्ट्री का विवरण अंकित करें तथा स्टॉक रजिस्टर की फोटो प्रति भी संलग्न करें।

(य) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक का जनसहयोग सम्बन्धी प्रमाण–पत्र परिशिष्ट–11 में अंकित करना है।

{13} ग्राउन्ड एसेसमेन्ट :–

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) अपने क्षेत्राधिकार में तैयार प्रस्तावों की वरीयता बनाकर प्रथम बारह स्थान पर आने वाले प्रकरणों से सम्बन्धित शिक्षकों का ग्राउन्ड एसेसमेन्ट एक समिति के द्वारा करवाएंगे। उक्त समिति का गठन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा :–

(1)	जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(3)	एक प्रतिनिधि डाइट से जो वरिष्ठ व्याख्याता स्तर का हो	सदस्य

ग्राउन्ड एसेसमेन्ट समिति सम्मान हेतु तैयार प्रस्ताव के अनुसार शिक्षक द्वारा जिन विद्यालयों/संस्थाओं में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, उन विद्यालयों/संस्थाओं का दौरा करने जाएगी। समिति विद्यालयों/संस्थाओं के छात्र/छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों, संस्था प्रधानों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों से मिलकर वार्ता करेगी, शिक्षक–अभिभावक परिषद् के सदस्यों से मिलकर परिषद् के कार्यों में सम्बन्धित शिक्षक की भूमिका की अवगति प्राप्त कर निर्धारित बिन्दुओं के अनुरूप अंक प्रदान करेगी। अनुशासन की स्थापना, नामांकन व ठहराव, जन सहयोग, राष्ट्रीय विकास कार्यों में शिक्षक द्वारा योगदान का भी आकल किया जाएगा। समग्र रूप से सम्बन्धित शिक्षक द्वारा शैक्षिक, पर्यावरण समुन्नयन व स्वस्थ स्वरूप देने की दशा में किए गए प्रयासों को दृष्टि में रखकर अंक प्रदान किये जावें। इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। ये अंक **परिशिष्ट–2 के अनुसार दिये जाए।**

{14} पंचांग :–

शिक्षक सम्मान से सम्बन्धित सभी कार्यो के लिए समयबद्ध निष्पादन के लिए निम्नानुसार पंचाग निर्धारित किया जाता है : –

(1)	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवाना।	03 अगस्त, 2018
(2)	उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) स्तर पर प्रस्तावों को समीक्षा उपरान्त अनुशंसा सहित माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करवाना।	08 अगस्त, 2018

(3) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना। 10 अगस्त, 2018

(4) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंसा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना। 10 अगस्त, 2018

उपर्युक्त वर्णित तिथियों तक पूर्ण गुणवत्ता व विशेष रूचि के साथ कार्य सम्पादित करने वाले शिक्षकों के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप प्रस्तावों को अन्तिम तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करने हेतु विशेष ध्यान दिया जाए । सम्मान हेतु अनुशंसित किये जाने वाले प्रकरणों में **पूर्णतः गोपनीयता बरती जाए।** इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक को तथा उप निदेशकों द्वारा निदेशालय भिजवाए जाने वाले प्रस्ताव सील बन्द पैकेट में सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी के साथ ही भिजवाएं। यह ध्यान रहे कि प्रस्तावों के साथ भेजे जाने वाले अग्रेषण पत्र में **शिक्षकों के नाम अंकित न करें,** बल्कि उनकी सूची मूल लिफाफे में ही रखें

इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि आवश्यक समस्त प्रपत्र एवं प्रमाण–पत्रादि क्रमानुसार ही संलग्न किए जावें।

: : मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान : :

मण्डल स्तरीय सम्मान समारोह माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा का सम्मिलित रूप से गांधी जयन्ती दिनांक : 02/10/2018 कों आयोजित किया जाएगा। इसके नॉडल अधिकारी उप निदेशक (माध्यमिक) रहेंगे। मंडल स्तर पर सम्मान हेतु उन्हीं शिक्षकों का चयन किया जाए, जिनके प्रस्तावों में मण्डल स्तर पर समीक्षा उपरान्त चयन की सूक्ष्म अंक योजना में प्राप्तांक न्यूनतम 50 हों एवं जिन्हें राज्य/मंडल स्तर पर पूर्व में सम्मानित नहीं किया गया हो।

ध्यान रहे कि प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रस्तावों की नियन्त्रण अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से जांच एवं सत्यापन कर प्रत्येक शिक्षक का प्रस्ताव परिशिष्ट–1 से 12 तक में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :– (1) तीन सूक्ष्म अंक योजनाएँ
(2) परिशिष्ट–1 से 12 तक

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
7. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

शिक्षक सम्मान हेतु चयन के सूक्ष्म अंक योजना

सामान्य शिक्षक :—

(1)	शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)	5 अंक
	75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर	अंक 1.0
	60 प्रतिशत से अधिक 75 प्रतिशत तक प्राप्तांक होने पर	अंक 0.5

नोट :— कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक 1X5=5 अंक (1) माध्यमिक (2) उच्च माध्यमिक (3) स्नातक (4) स्नातकोतर और (5) बी0एड0/एसटीसी/डीपीएड/बीपीएड/सीपीएड शिक्षा शास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग–अलग अंक दिये जाने है।

(2)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षो के) (सामान्य शिक्षक)	60 अंक
(2)(i)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षो के बोर्ड परीक्षा परिणाम)	
	100 प्रतिशत	अंक 12 प्रति वर्ष
	90 प्रतिशत से अधिक 100 प्रतिशत से कम	अंक 10 प्रति वर्ष
	80 प्रतिशत से अधिक 90 प्रतिशत तक	अंक 08 प्रति वर्ष

नोट :— (1) 80 प्रतिशत या उससे कम परीक्षा परिणाम होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
(2) 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट अंक 12X5=60
(3) संस्था प्रधान के लिए विद्यालय का परीक्षा परिणाम मान्य होगा।

(2)(ii)	परीक्षा परिणाम उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों हेतु (गत पॉच वर्षो का) (केवल कक्षा 5 अथवा 8 का परीक्षा परिणाम ही मान्य होगा	60 अंक
	100 प्रतिशत छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 12 प्रति वर्ष
	90 प्रतिशत या इससे अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 10 प्रति वर्ष
	80 प्रतिशत या इससे अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 08 प्रति वर्ष

नोट :— (1) 80 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
(2) 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट 12X5=60
(3) शिक्षकों हेतु अपनी कक्षाओं का तथा संस्था प्रधान हेतु विद्यालय का परीक्षा परिणाम लागू होगा।
(4) डाईट द्वारा अन्य दल गठित कर उक्त ग्रेडिंग परीक्षा प्रणाली का निरीक्षण, समीक्षा करने के पश्चात् इसका भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

(3)	वार्षिक कार्य मूल्याकंकन प्रतिवेदन (गत पॉच वर्षो के)	5 अंक
	उत्कृष्ट	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	बहुत अच्छा	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	अच्छा	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :– 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है।

(4)	जन सहयोग (गत पॉच वर्षो का)	10 अंक
	15 लाख रूपये से ऊपर	अंक 10
	10 लाख रूपये से ऊपर एवं 15 लाख रूपये तक	अंक 07
	05 लाख रूपये से ऊपर एवं 10 लाख रूपये तक	अंक 05
	03 लाख रूपये से ऊपर एवं 05 लाख रूपये तक	अंक 03

नोट :– (1) जिस जनसहयोग के लिए पूर्व में किसी शिक्षक को सम्मान मिल चूका है तो उसी जनसहयोग के लिए अन्य शिक्षक को पात्र नही माना जावे।

(2) सासद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जन सहयोग की श्रेणी मे नही आते है।

(3) शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन–जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे उस अवधि के और उन्ही विद्यालयों में किया गया जनसहयोग मान्य किया जावे।

(4) शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यो में उपयोग हेतु कराये गये जनसहयोग यथा कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेलमैदान, खेलकूद कक्ष, चार दिवारी, प्याऊ, शौचालय आदि तथा शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री और शिक्षण कार्य के लिए सहयोग में मान्य किया जावे। यदि शाला परिषर में कोई धार्मिक स्थल अथवा अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाता जो शैक्षणिक उद्धेश्य से नही हो मान्य नही किया जावे।

(5)	प्रकाशन कार्य/वार्ता/शोघ कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता (गत पॉच वर्षो की)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
	स्थानीय स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	संस्था स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :– 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशन हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जावे।

(6)	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत पॉच वर्षो का)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
	जिला स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	खण्ड स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :– 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है तो उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जाये बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही देय हो।

(7)	ग्राउन्ड ऐसेमेन्ट	10 अंक

शिक्षक का नाम .... पद ....

विद्यालय ....

क्र0स0	कार्यक्रम	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	5 वर्षो में विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि	01	
2	नामांकन एवं ठहराव में सफलता, बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव	01	
3	विद्यार्थियों के सर्वागींण विकास में योगदान	01	
4	विद्यालय प्रबन्धन मे सहभागिता/जनसहयोग	01	
5	पाठ्क्रम सहभागी क्रियाओं का संचालन	01	
6	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना, समाजिक कार्यो में संलग्नता	01	
7	शिक्षक अभिभाव परिषद में भूमिका	01	
8	राष्ट्रीय कार्यक्रमों क्रियान्विती/राष्ट्रीय विकाय कार्य में शिक्षक का योगदान	01	
9	व्यक्तित्व की प्रभावशीलता	01	
10	अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार	01	
	योग :–	10	

शिक्षक सम्मान हेतु चयन के सूक्ष्म अंक योजना

शारीरिक शिक्षक :–

(1)	शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)	5 अंक
	75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 1.0
	60 प्रतिशत से अधिक 75 प्रतिशत तक प्राप्तांक होने पर अथवा स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 0.5

नोट :– कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक 1X5=5 अंक (1) माध्यमिक (2) उच्च माध्यमिक (3)स्नातक (4) स्नातकोतर और (5) बी0एड0/एसटीसी/डीपीएड/बीपीएड/सीपीएड शिक्षा शास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग–अलग अंक दिये जाने है।

अथवा

(1)	खेलकूद भागीदारी का रिकार्ड (स्वयं का)	5 अंक
	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 5.0
	राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 3.0
	राज्य स्तर पर खेल में भागीदारी	अंक 2.0

नोट :– अधिकतम क्रेडिट अंक 5 अंक

(2)	वार्षिक कार्य मूल्याकंकन प्रतिवेदन (गत पॉच वर्षो के)	5 अंक
	उत्कृष्ट	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	बहुत अच्छा	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	अच्छा	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :– 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है।

(3)	जन सहयोग (गत पॉच वर्षो का)	10 अंक
	15 लाख रूपये से ऊपर	अंक 10
	10 लाख रूपये से ऊपर एवं 15 लाख रूपये तक	अंक 07
	05 लाख रूपये से ऊपर एवं 10 लाख रूपये तक	अंक 05
	03 लाख रूपये से ऊपर एवं 05 लाख रूपये तक	अंक 03

नोट :–
(1) जिस जनसहयोग के लिए पूर्व में किसी शिक्षक को सम्मान मिल चूका है तो उसी जनसहयोग के लिए अन्य शिक्षक को पात्र नही माना जावे।
(2) सासद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जन सहयोग की श्रेणी मे नही आते है।
(3) शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन–जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे उस अवधि के और उन्ही विद्यालयों में किया गया जनसहयोग मान्य किया जावे।
(4) शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यो में उपयोग हेतु कराये गये जनसहयोग यथा कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेलमैदान, खेलकूद कक्ष, चार दिवारी, प्याउ, शौचालय आदि तथा शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री और शिक्षण कार्य

के लिए सहयोग में मान्य किया जावे। यदि शाला परिषर में कोई धार्मिक स्थल अथवा अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाता जो शैक्षणिक उद्धेश्य से नही हो मान्य नही किया जावे।

(4)	प्रकाशन कार्य/वार्ता/शोघ कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता (गत पॉच वर्षो की)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
	स्थानीय स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	संस्था स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :– 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशन हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतिशेगिता में भाग लिया है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जावे।

(5)	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत पॉच वर्षो का)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00
	राज्य स्तर	अंक 0.75
	जिला स्तर	अंक 0.50
	खण्ड स्तर	अंक 0.25

नोट :– 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जाये बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही देय हो।

(6)	शारीरिक शिक्षकों के द्वारा छात्रों को खेलकूद गतिविधियों से प्राप्त उपलब्धिया/प्रमाण पंत्र आदि	60 अंक
	राष्ट्रीय स्तरीय	12 अंक प्रति वर्ष
	राज्य स्तरीय	08 अंक प्रति वर्ष
	जिला स्तरीय	05 अंक प्रति वर्ष

नोट :–
(1) 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट अंक 12X5=60 है
(2) यदि एक छात्र द्वारा एक ही वर्ष में विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां/प्रमाण पत्र आदि प्राप्त किये जाते है तो उसे उच्चतम स्तर पर प्राप्त उपलब्धि/प्रमाण पत्र आदि के आधार पर अंक प्रदान किये जायेगे।

(7)	ग्राउन्ड ऐसेमेन्ट	10 अंक

शिक्षक का नाम .... पद ....

विद्यालय ....

क्र0स0	कार्यक्रम	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	5 वर्षो में विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि	01	
2	नामांकन एवं ठहराव में सफलता, बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव	01	
3	विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	01	
4	विद्यालय प्रबन्धन मे सहभागिता / जनसहयोग	01	
5	पाठ्क्रम सहभागी क्रियाओं का संचालन	01	
6	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना, समाजिक कार्यो में संलग्नता	01	
7	शिक्षक अभिभाव परिषद में भूमिका	01	
8	राष्ट्रीय कार्यक्रमों क्रियान्विती / राष्ट्रीय विकाय कार्य में शिक्षक का योगदान	01	
9	व्यक्तित्व की प्रभावशीलता	01	
10	अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार	01	
	योग :–	10	

शिक्षक सम्मान हेतु चयन के सूक्ष्म अंक योजना

विशेष योग्यजन शिक्षक एवं विशेष योग्यजन संबंधित संस्थान में कार्यरत सामान्य शिक्षक :–

(1)	शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)	5 अंक
	75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर	अंक 1.0
	60 प्रतिशत से अधिक 75 प्रतिशत तक प्राप्तांक होने पर	अंक 0.5

नोट :– कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम क्रेडिट अंक 1X5=5 अंक (1) माध्यमिक (2) उच्च माध्यमिक (3)स्नातक (4) स्नातकोतर और (5) बी0एड0/एसटीसी/डीपीएड/बीपीएड/सीपीएड शिक्षा शास्त्री में प्राप्त श्रेणियों के अनुसार ही अलग–अलग अंक दिये जाने है।

(2)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षो के) (सामान्य शिक्षक)	40 अंक
(2)(i)	परीक्षा परिणाम (गत 5 वर्षो के बोर्ड परीक्षा परिणाम)	
	100 प्रतिशत	अंक 08 प्रति वर्ष
	90 प्रतिशत से अधिक 100 प्रतिशत से कम	अंक 05 प्रति वर्ष
	80 प्रतिशत से अधिक 90 प्रतिशत तक	अंक 03 प्रति वर्ष
	70 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	अंक 01 प्रति वर्ष

नोट :–
(1) 70 प्रतिशत या उससे कम परीक्षा परिणाम होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
(2) 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट अंक 08X5=40
(3) संस्था प्रधान के लिए विद्यालय का परीक्षा परिणाम मान्य होगा।

(2)(ii)	परीक्षा परिणाम उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों हेतु (गत पॉच वर्षो का) (केवल कक्षा 5 अथवा 8 का परीक्षा परिणाम ही मान्य होगा	40 अंक
	100 प्रतिशत छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 08 प्रति वर्ष
	90 प्रतिशत या इससे अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 05 प्रति वर्ष
	80 प्रतिशत या इससे अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर	अंक 03 प्रति वर्ष
	70 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	अंक 01 प्रति वर्ष

नोट :– (1) 70 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
(2) 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट 08X5=40
(3) शिक्षकों हेतु अपनी कक्षाओं का तथा संस्था प्रधान हेतु विद्यालय का परीक्षा परिणाम लागू होगा।
(4) डाईट द्वारा अन्य दल गठित कर उक्त ग्रेडिंग परीक्षा प्रणाली का निरीक्षण, समीक्षा करने के पश्चात् इसका भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

(3)	वार्षिक कार्य मूल्याकंकन प्रतिवेदन (गत पॉच वर्षो के)	5 अंक
	उत्कृष्ट	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	बहुत अच्छा	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	अच्छा	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :– 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है।

(4)	जन सहयोग (गत पॉच वर्षो का)	10 अंक
	15 लाख रूपये से ऊपर	अंक 10
	10 लाख रूपये से ऊपर एवं 15 लाख रूपये तक	अंक 07
	05 लाख रूपये से ऊपर एवं 10 लाख रूपये तक	अंक 05
	03 लाख रूपये से ऊपर एवं 05 लाख रूपये तक	अंक 03

नोट :– (1) जिस जनसहयोग के लिए पूर्व में किसी शिक्षक को सम्मान मिल चूका है तो उसी जनसहयोग के लिए अन्य शिक्षक को पात्र नही माना जावे।
(2) सासद कोष/विधायक कोष/स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि आदि से कराये गये कार्य जन सहयोग की श्रेणी मे नही आते है।
(3) शिक्षक सेवा अवधि के दौरान जिन–जिन विद्यालयों में पदस्थापित रहे उस अवधि के और उन्ही विद्यालयों में किया गया जनसहयोग मान्य किया जावे। जन सहयोग गत 5 वर्षो में किया गया ही मान्य होगा।
(4) शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यो में उपयोग हेतु कराये गये जनसहयोग यथा कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेलमैदान, खेलकूद कक्ष, चार दिवारी, प्याउ, शौचालय आदि तथा शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री और शिक्षण कार्य के लिए सहयोग में मान्य किया जावे। यदि शाला परिषर में कोई धार्मिक स्थल अथवा अन्य प्रकार का निर्माण कार्य करवाया जाता जो शैक्षणिक उद्धेश्य से नही हो मान्य नही किया जावे।

(5)	प्रकाशन कार्य/वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता (गत पॉच वर्षो की)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष

	स्थानीय स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	संस्था स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :– 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख/शोध प्रकाशन हुआ है अथवा वार्ता दी है अथवा प्रतिशेगिता में भाग लिया है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जावे।

(6)	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान (गत पॉच वर्षो का)	05 अंक
	राष्ट्रीय स्तर	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	राज्य स्तर	अंक 0.75 प्रति वर्ष
	जिला स्तर	अंक 0.50 प्रति वर्ष
	खण्ड स्तर	अंक 0.25 प्रति वर्ष

नोट :– 5 वर्षो से अधिकतम क्रेडिट 1X5=05 है और जिस स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई पुरस्कार/सम्मान प्राप्त हुआ है तो उसे उसी स्तर के आधार पर प्रतिवर्ष का अंकन किया जाये बशर्ते उक्त पुरस्कार/सम्मान राजकीय कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा ही देय हो।

(7)	विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योगदान सामान्य मानदण्ड – निम्नलिखित प्रयास विशेष शिक्षा में योगदान की श्रेणी में आता है :–	20 अंक
	विशेष योग्यजन बच्चों के नामांकन में वृद्धि	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	विशेष योग्यजन छात्रों को उपकरण उपलब्ध कराने में सहयोग	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	विशेष शिक्षा के लिए आयोजित संगोष्ठी/सेमीनार/अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था/अन्य सह–शैक्षिक गतिविधि आयोजन में विशिष्ठ योगदान। आदि में भाग लेना	अंक 1.00 प्रति वर्ष
	विशेष योग्यजन छात्रों को सामान्य छात्रों की तरह समाज में स्थान दिलाने हेतु प्रचार/प्रसार	अंक 1.00 प्रति वर्ष

नोट :–
(1) 5 वर्षो के अधिकतम क्रेडिट अंक 20 है।
(2) अध्यपाक स्वयं विशेष योग्यजन है एवं विशेष योग्यजन छात्रों को ही पढाते है उन्हे विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जावे।
(3) उपरोक्त प्रयासों के समर्थन में किसी भी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र को नियन्त्रण अधिकारी/जिशिअ से प्रतिहस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।
(4) किसी भी एक प्रयास के लिए प्रत्येक वर्ष में 1.0 अंक देय होगा।
(5) वर्षवार सूचना परिशिष्ट –12 में प्रस्तुत करनी होगी।

(8)	आधारभूत आंकलन (ग्राउन्ड ऐसेमेन्ट)	10 अंक

शिक्षक का नाम .... पद ....

विद्यालय ....
....

क्र0स0	कार्यक्रम	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	5 वर्षो में विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि	01	
2	नामांकन एवं ठहराव में सफलता, बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव	01	
3	विद्यार्थियों के सर्वागींण विकास में योगदान	01	
4	विद्यालय प्रबन्धन मे सहभागिता/जनसहयोग	01	
5	पाठ्क्रम सहभागी क्रियाओं का संचालन	01	
6	मानवीय सम्बन्धों की स्थापना, समाजिक कार्यो में संलग्नता	01	
7	शिक्षक अभिभाव परिषद में भूमिका	01	
8	राष्ट्रीय कार्यक्रमों क्रियान्विती/राष्ट्रीय विकाय कार्य में शिक्षक का योगदान	01	
9	व्यक्तित्व की प्रभावशीलता	01	
10	अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार	01	
	योग :–	10	

संलग्न प्रपत्रों की सूची

परिशिष्ट–1 जिला समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन
परिशिष्ट–2 ग्राउन्ड एसेसमेंट समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन
परिशिष्ट–3 सम्मान हेतु शिक्षक की सिफारिश करने के लिए प्रपत्र
परिशिष्ट–4 शिक्षक का सेवा विवरण
परिशिष्ट–5 शिक्षक का शैक्षिक रिकार्ड
परिशिष्ट–6 शिक्षक का परीक्षा परिणाम
परिशिष्ट–7 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा देय प्रमाण पत्र
परिशिष्ट–8 गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों सम्बन्धी विभागी जांच/कानूनी कार्यवाही सम्बन्धी प्रमाण पत्र
परिशिष्ठ–9 गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वार्षिक कार्य वा0का0मू0
परिशिष्ट–10 छात्र छात्रो की खेलकूद उपलब्धियां (शा0शि0 के लिए)
परिशिष्ट–11 जनसहयोग का प्रमाण पत्र
परिशिष्ट–12 विशेष शिक्षा में योगदान

परिशिष्ट के अन्त में संलग्न प्रपत्र

क्र0स0	वर्ग	प्रलेख का विवरण	पृष्ठ संख्या
	शैक्षिक रिकार्ड		
1	माध्यमिक	अंक तालिका	
2	माध्यमिक	प्रमाण पत्र	
3	उच्च माध्यमिक	अंक तालिका	
4	उच्च माध्यमिक	प्रमाण पत्र	
5	स्नातक ( )	अंक तालिका	
6	स्नातक ( )	प्रमाण पत्र	
7	स्नातकोत्तर ( )	अंक तालिका	
8	स्नातकोत्तर ( )	प्रमाण पत्र	
9	प्रशैक्षिक ( )	अंक तालिका	
10	प्रशैक्षिक ( )	प्रमाण पत्र	
	परीक्षा परिणाम		
11	2012–2013	संस्था प्रधान द्वारा देय	
12	2013–2014	संस्था प्रधान द्वारा देय	
13	2014–2015	संस्था प्रधान द्वारा देय	
14	2015–2016	संस्था प्रधान द्वारा देय	
15	2016–2017	संस्था प्रधान द्वारा देय	
	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन		
16	2012–2013		
17	2013–2014		
18	2014–2015		
19	2015–2016		
20	2016–2017		
	जन सहयोग		
21	2012–2013		
22	2013–2014		
23	2014–2015		
24	2015–2016		
25	2016–2017		

	प्रकाशन कार्य		
26	2012—2013		
27	2013—2014		
28	2014—2015		
29	2015—2016		
30	2016—2017		
	वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता		
31	2012—2013		
32	2013—2014		
33	2014—2015		
34	2015—2016		
35	2016—2017		
	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान		
36	2012—2013		
37	2013—2014		
38	2014—2015		
39	2015—2016		
40	2016—2017		
	विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योगदान		
41	2012—2013		
42	2013—2014		
43	2014—2015		
44	2015—2016		
45	2016—2017		
46	विशेष शिक्षा के लिए प्राप्त विशेष प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/उपाधि		
47	विशेष शिक्षा हेतु किये गये प्रयासों का प्रमाण पत्र		
48	शारीरिक शिक्षकों के प्रकरणों में विभिन्न स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में गत पॉच वर्षों में रही उपलब्धियों का विवरण		
49	**बड़े लिफाफे में शिक्षक का पासपोर्ट फोटो**		
50	**अन्य कोई प्रमाण पत्र**	——	

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (1) परिशिष्ट 1 से 12 तक संलग्न है, (2) तालिका के अनुसार जिन प्रलेखो के अंक देय वे संलग्न है, (3) तालिका की जिस क्रम संख्या का प्रलेख नही हैं उसके सामने पृष्ठ संख्या अंकित नही की गई है एवं (4) समस्त प्रलेखों की जांच करली गई है।

हस्ताक्षर मय मोहर
जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक

परिशिष्ट–1

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान–2018

जिला समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन
(सामान्य शिक्षकों हेतु)

मण्डल : .... जिला : ....

(1) शिक्षक का नाम ....

(2) पद ....

(3) पदस्थापन स्थान ....

(4) जन्म तिथि (अंकों में) ....
(शब्दों में) ....

(5) प्रथम नियुक्ति तिथि

(6) सेवा विवरण (31.12.2017 को)
(अ) कुल सेवा अवधि ....वर्ष ....माह
(ब) कुल शिक्षण रहित अनुभव अवधि ....वर्ष ....माह
(स) कुल शिक्षण अनुभव अवधि ....वर्ष ....माह

(7) गत 5 वर्षो का शिक्षण अनुभव ....वर्ष ....माह

---

(1) शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का)

अंक 05

क्र0स0	योग्यता	श्रेणी	विशेष योग्यता का विषय	प्रदत्त अंक
1	माध्यमिक			
2	उच्च माध्यमिक			
3	स्नातक ( )			
4	स्नातकोत्तर ( )			
5	प्रशैक्षिक ( )			
	योग			

(2) परीक्षा परिणाम (सामान्य शिक्षक)

अंक 60

क्र0स0	वर्ष	प्रतिशत	प्रदत्त अंक
1	2012–2013		
2	2013–2014		
3	2014–2015		
4	2015–2016		
5	2016–2017		
	योग		

(3) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

अंक 05

क्र0स0	वर्ष	समग्र मूल्यांकन	प्रदत्त अंक
1	2012–2013		
2	2013–2014		
3	2014–2015		
4	2015–2016		
5	2016–2017		
		योग	

(4) जन सहयोग

अंक 10

क्र0स0	वर्ष	कार्य	प्राप्त राशि	प्रदत्त अंक
1	2012–2013			5 वर्षों की कुल प्राप्त राशि के आधार पर अंक देय।
2	2013–2014			
3	2014–2015			
4	2015–2016			
5	2016–2017			
		योग		

(5) प्रकाशन/वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता

अंक 5

क्र0स0	वर्ष	प्रकाशन/वार्ता के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2012–2013			
2	2013–2014			
3	2014–2015			
4	2015–2016			
5	2016–2017			
	योग			

(6) राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान

अंक 5

क्र0स0	वर्ष	प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2012–2013			
2	2013–2014			
3	2014–2015			
4	2015–2016			
5	2016–2017			
	योग			

(7) ग्राउण्ड एसेसमेंट

अंक 10

ग्राउन्ड एसेसमेंट में प्रदत्त अंक	

कुल योग (1+2+3+4+5+6+7)

....

जिला समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

1.............................. 2................................ 3.............................. 4................................5.............................

मंडल स्तर पर संवीक्षा

उप निदेशक (माध्यमिक / प्रारम्भिक) के हस्ताक्षर मय नाम / पद / मोहर

परिशिष्ट–1

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान–2018

जिला समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन

(विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु विशेष सम्मान)

मण्डल : .... जिला : ....

(1) शिक्षक का नाम ....

(2) पद ....

(3) पदस्थापन स्थान ....

(4) जन्म तिथि (अंकों में) ....
(शब्दों में) ....

(5) प्रथम नियुक्ति तिथि ....

(6) सेवा विवरण (31.12.2017 को)
(अ) कुल सेवा अवधि ....वर्ष ....माह
(ब) कुल शिक्षण रहित अनुभव अवधि ....वर्ष ....माह
(स) कुल शिक्षण अनुभव अवधि ....वर्ष ....माह

(7) गत 5 वर्षो का शिक्षण अनुभव ....वर्ष ....माह

---

(1) शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का) अंक 05

क्र0सं0	योग्यता	श्रेणी	विशेष योग्यता का विषय	प्रदत्त अंक
1	माध्यमिक			
2	उच्च माध्यमिक			
3	स्नातक ( )			
4	स्नातकोत्तर ( )			
5	प्रशैक्षिक ( )			
	योग			

(2) परीक्षा परिणाम

अंक 40

क्र0सं0	वर्ष	प्रतिशत	प्रदत्त अंक
1	2012–2013		
2	2013–2014		
3	2014–2015		
4	2015–2016		
5	2016–2017		
		योग	

(3) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

अंक 05

क्र0सं0	वर्ष	समग्र मूल्यांकन	प्रदत्त अंक
1	2012–2013		
2	2013–2014		
3	2014–2015		
4	2015–2016		
5	2016–2017		
		योग	

(4) जन सहयोग

अंक 10

क्र0सं0	वर्ष	कार्य	प्राप्त राशि	प्रदत्त अंक
1	2012–2013			5 वर्षों की कुल प्राप्त राशि के आधार पर अंक देय।
2	2013–2014			
3	2014–2015			
4	2015–2016			
5	2016–2017			
		योग		

(5) प्रकाशन/वार्ता/शोध कार्य/अध्यापन प्रतियोगिता

अंक 5

क्र0सं0	वर्ष	प्रकाशन/वार्ता के अनुसार		प्रदत अंक
		कार्य	स्तर	
1	2012–2013			
2	2013–2014			
3	2014–2015			
4	2015–2016			
5	2016–2017			
	योग			

(6) राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान अंक 5

क्र0सं0	वर्ष	प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2012–2013			
2	2013–2014			
3	2014–2015			
4	2015–2016			
5	2016–2017			
योग				

(7) विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अंक 20

क्र0सं0	वर्ष	किये गये प्रयास का विवरण	प्रदत्त अंक
1	2012–2013		
2	2013–2014		
3	2014–2015		
4	2015–2016		
5	2016–2017		
योग			

नोट : शूक्ष्म अंक योजना के बिन्दु संख्या में वर्णित प्रयासों मे से किसी एक प्रयास के करने पर वर्ष विशेष में 1 अंक देय होगा।

(8) ग्राउण्ड एसेसमेंट अंक 10

ग्राउन्ड एसेसमेंट में प्रदत्त अंक	

कुल योग (1+2+3+4+5+6+7+8) ....

जिला समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

1............................. 2................................ 3.............................. 4................................5.............................

मंडल स्तर पर संवीक्षा

उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

परिशिष्ट–1

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान–2018

जिला समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन
(शारीरिक शिक्षकों हेतु)

मण्डल : .... जिला : ....

(1) शिक्षक का नाम ....

(2) पद ....

(3) पदस्थापन स्थान ....

(4) जन्म तिथि (अंकों में) ....
(शब्दों में) ....

(5) प्रथम नियुक्ति तिथि ....

(6) सेवा विवरण (31.12.2017 को)
(अ) कुल सेवा अवधि ....वर्ष ....माह
(ब) कुल शिक्षण रहित अनुभव अवधि ....वर्ष ....माह
(स) कुल शिक्षण अनुभव अवधि ....वर्ष ....माह

(7) गत 5 वर्षो का शिक्षण अनुभव ....वर्ष ....माह

---

(1) शैक्षिक रिकार्ड (स्वयं का) अंक 05

क्र0स0	योग्यता	श्रेणी	विशेष योग्यता का विषय	प्रदत्त अंक
1	माध्यमिक			
2	उच्च माध्यमिक			
3	स्नातक ( )			
4	स्नातकोत्तर ( )			
5	प्रशौक्षिक ( )			
	योग			

अथवा

(1) खेलकूद भागीदारी का रिकार्ड (स्वयं का) अंक 05

क्र0स0	वर्ष	भागीदारी का स्तर	प्रदत्त अंक
1		अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	
2		राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भागीदारी	
3		राज्य स्तर पर भागीदारी	

(2) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अंक 05

क्र0स0	वर्ष	समग्र मूल्यांकन	प्रदत्त अंक
1	2012–2013		
2	2013–2014		
3	2014–2015		
4	2015–2016		
5	2016–2017		
	योग		

(3) जन सहयोग

अंक 10

क्र0स0	वर्ष	कार्य	प्राप्त राशि	प्रदत्त अंक
1	2012–2013			5 वर्षों की कुल प्राप्त राशि के आधार पर अंक देय।
2	2013–2014			
3	2014–2015			
4	2015–2016			
5	2016–2017			
		योग		

(4) प्रकाशन/वार्ता/शोध कार्य/क्रिड़ा प्रतियोगिता

अंक 5

क्र0स0	वर्ष	प्रकाशन/वार्ता के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2012–2013			
2	2013–2014			
3	2014–2015			
4	2015–2016			
5	2016–2017			
	योग			

(5) राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान

अंक 5

क्र0स0	वर्ष	प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार		प्रदत्त अंक
		कार्य	स्तर	
1	2012–2013			
2	2013–2014			
3	2014–2015			
4	2015–2016			
5	2016–2017			
	योग			

(6) शारीरिक शिक्षकों के द्वारा छात्रों को खेलकूद गतिविधियों से प्राप्त उपलब्धियां/प्रमाण–पत्र आदि (गत पांच वर्षो का) अंक 60

क्र0स0	वर्ष	उपलब्धियां/प्रमाण–पत्र	स्तर	प्रदत्त अंक
1	2012–2013			
2	2013–2014			
3	2014–2015			
4	2015–2016			
5	2016–2017			
		योग		

नोट :– (1) 5 वर्षो के अधिकतम क्रेडिट अंक 60 है।

(2) यदि एक ही छात्र द्वारा एक ही वर्ष विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं में उपलतब्धिया/प्रमाण आदि प्राप्त किये जाते है तो उसे उच्चतम स्तर पर प्राप्त उपलब्धि/प्रमाणपत्र आदि के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेग।

(7) ग्राउण्ड एसेसमेंट अंक 10

ग्राउन्ड एसेसमेंट में प्रदत्त अंक	

कुल योग (1+2+3+4+5+6+7) ....

जिला समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

1.............................. 2................................ 3.............................. 4.................................5............................

मंडल स्तर पर संवीक्षा

उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर

परिशिष्ट–2

ग्राउन्ड एसेसमेन्ट समिति द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन

शिक्षक का नाम : .... पद : ....

विद्यालय : ....

क्र0स0	कार्यक्रम	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	पॉच वर्षो में विद्यालय में 10 प्रतिशत से अधिक नामांकन में वृद्धि	1	
2	नामांकन एवं ठहराव में सफलता, बच्चों के लिए समुचित प्रेम एवं लगाव।	1	
3	विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान	1	
4	विद्यालय प्रबन्धन मे सहभागिता	1	
5	पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन	1	
6	मानवीय संबंधें की स्थापना, सामाजिक कार्यों में संलग्नता।	1	
7	शिक्षक अभिभावक परिषद में भूमिका	1	
8	राष्ट्रीय कार्यक्रमों की क्रियान्विति	1	
9	व्यक्तित्व की प्रभावशीलता	1	
10	अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार	1	
	योग :–	10	

ग्राउन्ड एसेसमेन्ट समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर मय नाम/पद/मोहर।

द्वितीय सदस्य   प्रथम सदस्य   अध्यक्ष

परिशिष्ट–3

राज्य स्तरीय सम्मान हेतु शिक्षक की सिफारिश करने के लिए प्रपत्र

फोटो यहा चिपकायें

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र का भाग "क" "ख" और "ग" शिक्षक की डायरी, निरीक्षण रिर्पोट, संस्था प्रधान द्वारा संधारित किए गए रिकार्ड, स्कूल के परीक्षा परिणाम, शिक्षक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, सेवा पुस्तिका आदि स्त्रोतों से भरे जाए। भाग "घ" और "ड" क्रमश: जिला समिति एवं राज्य समिति के अध्यक्ष तथा इस प्रयोग हेतु नियुक्त समिति द्वारा भरे जाए।

भाग – "क"
(शिक्षक का विवरण)

(1) नाम : ....

(2) वैवाहिक स्थिति के साथ स्त्री / पुरूष : ....

(3) पद नाम, स्कूल का पूर्ण पता (पिन कोड सहित) : ....

(4) नियुक्ति स्थान का आवासीय पूर्ण पता (पिन कोड सहित) : ....
....
....
....

(5) पूर्ण स्थाई पता (पिन कोड, दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर यदि हो तो) : ....
....
....

(6) स्कूल का स्तर (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / अन्य) : ....

(7) जिला : ....

(8) राज्य : ....

(9) जन्म तिथि : ....

(10) वर्तमान आयु : ....

(11) सेवानिवृत्ति तिथि : ....

(12) यदि सेवानिवृत्ति के बाद सेवा वृद्धि की गई हो तो राज्य सरकार की स्वीकृति का उल्लेख कर प्रति प्रलेख संलग्न करें : ....

(13) शिक्षक के रूप में सेवा शुरू करने की तिथि सहित कुल सेवा :

- कुल सेवा..................वर्ष................माह
- शिक्षक के रूप में सेवा शुरू करने की तिथि ....

सेवा रिकार्ड

संस्था का नाम	स्तर–प्राथमिक / माध्यमिक आदि	प्रबन्धनः– सरकारी / सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त	कुल प्रवेश	सेवा की अवधि दिनांक महीना एवं वर्ष सहित	पढाए गये विषय	पढाई गई कक्षाएं	सार्वजनिक या वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम	पूरी की गई कोई अन्य जिम्मेदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(14) कुल अनुभव

प्रकार	अवधि		कुल अनुभव		
	..........से	..........तक	वर्ष	माह	दिन
शिक्षण					
प्रशासनिक					
अन्य					
कुल					

भाग – 'ख'

(प्रथम)

(15) प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के मामले में स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए तथा कक्षा बीच में छोड़ने की स्थति को रोकने के लिए शिक्षक द्वारा क्या ठोस कदम ऊठाए गए हैं ? स्कूल और जिले के सम्बन्ध में विगत तीन वर्षो के दाखिला / स्कूल में बनाये रखने की प्रतिशतता संबंधी आकड़े दें ताकि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य कों प्राप्त करने में हुई प्रगति को दर्शाया जा सके।

(16) माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के मामले में विगत पॉच वर्षो में माध्यमिक स्तर पर स्कूल में कक्षा छोड़ देने वालों की क्या दर रही ? उसे रोकने के लिए शिक्षक ने क्या कदम उठाए ?

(17) बोर्ड परीक्षा में शिक्षक की कक्षा के क्या परिणाम रहे हैं ? विगत पॉच वर्षो के दौरान शिक्षक के कक्षा / विषय / विद्यालय में उत्तीर्ण होने वालों और प्रथम श्रेणी पाने वालों की प्रतिशतता दें।

(18) क्या शिक्षक ने स्कूल के भौतिक विकास के लिए निर्धारित सामुदायिक संसाधनों का संघटन किया है ? यदि हां तो विवरण दें।

(19) शिक्षक के मामले में विगत पांच वर्षो के दौरान कक्षा / स्कूल में अनुशासनहीनता के मामले, यदि कोई हो, संख्या बताएं।

(20) क्या शिक्षक ने राष्ट्रीय अखण्डता को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट कार्यकलापों को शुरू किया है ? विवरण दें।

(21) निम्नलिखित सूचना विशेष रूप से दी जानी चाहिए :

- क्या वे प्राईवेट शिक्षण (ट्यूशन / कॉचिंग) देते / देती है ?
- क्या वे राजनैतिक / ट्रेड यूनियन के कार्यकलापों में सम्मिलित होते / होती है ?
- क्या वे शिकायत करने और कानूनी पचड़े में पड़ने के आदि है ?
- क्या वे समयनिष्ठ (समय के पाबन्द) हैं ?

ध्यातव्य : सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त सूचना को 75 प्रतिशत अधिमानता दी जानी चाहिए।

(द्वितीय)

(22) क्या शिक्षक ने विद्यार्थियों पर अपनें शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए कोई नवाचारी प्रयोग किया है ? संक्षित विवरण दें।

(23) कक्षा के शिक्षण को अधिक रूचिकर बनाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जन मीडिया सहित शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार क्या है ?

(24) क्या शिक्षक प्रतिभावान और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान और उनको विशेष सहायता प्रदान करते है ? यदि हां तो विवरण दें।

(25) क्या शिक्षक ने किसी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया है ? यदि हां तो विगत पांच वर्षो का विवरण दें।

(26) क्या शिक्षक स्कूलों में सह–पाठ्यचर्या या पाठ्येत्तर कार्यकलापों को आयोजित करने में सक्रिय रूचि लेते हैं ? यदि हां तो विवरण दें।

(27) क्या शिक्षक ने कोई लेख, पाठ्यपुस्तक आदि लिखी हैं ? यदि हां तो विवरण दें।

(28) क्या विगत दस वर्षो के दौरान शिक्षक को स्कूल समुदाय या सरकार से कोई मान्यता, पुरस्कार या इनाम मिला हैं ? यदि हां तो विवरण दें।

(29) ऊपर अनुल्लिखित कोई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि

भाग – 'ग'

(अपने वरिष्ठ शिक्षकों के मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक के बारे में टिप्पणी)

(30) क्या विद्यार्थियों के बीच शिक्षक का सम्मान है ?

(31) क्या वे विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखने में सक्षम हैं ?

(32) क्या शिक्षक अपने सहकर्मियों और अन्य लोगों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाए रखते है ?

(33) क्या समुदाय द्वारा विशेष तौर पर अभिभावकों द्वारा उनको अच्छा सम्मान मिलता है ?

(34) शिक्षक अभिभावक परिषद के कार्यकलाप आदि, यदि कोई हों, में शिक्षक की क्या सहभागिता हैं ?

(35) संस्था प्रधान द्वारा समग्र मूल्यांकन :

(36) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समग्र मूल्यांकन :

हस्ताक्षर मय मोहर
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारम्भिंक)

भाग – 'घ'

जिला समिति की सिफारिश

हस्ताक्षर मय मोहर

चतुर्थ सदस्य | तृतीय सदस्य | द्वितीय सदस्य | प्रथम सदस्य | अध्यक्ष, जिला समिति

भाग – 'ड'

राज्य समिति की सिफारिश

हस्ताक्षर मय मोहर

द्वितीय सदस्य | प्रथम सदस्य | अध्यक्ष राज्य समिति

परिशिष्ट–4

शिक्षक का सेवा विवरण

(नियुक्ति दिनांक से दिनांक 31/12/2017 तक)

शिक्षक का नाम .... पद ....प्रथम नियुक्ति तिथि ....

विद्यालय ....

क्र0 सं0	पद का नाम	पदस्थापन स्थान	अवधि		कुल सेवा अवधि	
			........से	.......तक	वर्ष	माह
	कुल सेवा अवधि					
	कुल शिक्षण रहित अनुभव अवधि					
	कुल शिक्षण अनुभव अवधि (31.12.2017 आधार तिथि मानकर)					

नोट :–1. गैर शिक्षण एवं प्रशासनिक पदों के अनुभव की अवधि शिक्षण अनुभव की श्रेणी में नही आने से सम्मान हेतु अमान्य है। अतः उक्त अवधि कुल सेवा अवधि में से घटानी है।

2. इस तालिका के आधार पर परिशिष्ट–1 के क्रमांक 6 में इन्द्राज करना है।

हस्ताक्षर मय मोहर

नियन्त्रण अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी

परिशिष्ट–5

शिक्षक का शैक्षिक रिकार्ड

शिक्षक का नाम .... पद ....

विद्यालय ....

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	श्रेणी	विशेष योग्यता वाले विषय का नाम (75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक प्राप्तांक)
माध्यमिक				
उच्च माध्यमिक				
स्नातक( )				
स्नातकोत्तर( )				
प्रशैक्षिक 1.बी.एड 2.एस.टी.सी. 3.डी.पी.एड. 4.बी.पी.एड. 5.सी.पी.एड. 6.शिक्षाशास्त्री				
अन्य				

नोट :– (1) प्रत्येक शैक्षिक योग्यता की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जानी है।
(2) स्नात्तकोतर उपाधि एक से अधिक विषयों में उत्तीर्ण की हो तो सब के नाम अलग–अलग इंगित करें।

हस्ताक्षर मय मोहर
नियन्त्रण अधिकारी

परिशिष्ट–6

शिक्षक का परीक्षा परिणाम

(केवल मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम का उल्लेख करें)

नाम .... पद ....

विद्यालय ....

सत्र ....

क.सं.	कक्षा	विषय	प्रविष्ट विद्यार्थी	उतीर्ण विद्यार्थी श्रेणी				प्रतिशत
				I	II	III	योग	
कुल परीक्षा परिणाम								
औसत परीक्षा परिणाम								

नोट :– (1) औसत परीक्षा परिणाम ज्ञात करने के लिए कुल परीक्षा परिणाम में कुल कक्षा परीक्षा परिणामों की संख्या अर्थात इस तालिका की अन्तिम संख्या का भाग लगाना है।

(2) एस.यू.पी.डब्ल्यू. / कला शिक्षा / कम्प्यूटर शिक्षा / शारीरिक शिक्षा विषयों की परीक्षाओं का तालिका में अंकन नही करना हैं, क्योंकि इनके अंक देय नही है।

(3) गत 5 सत्रों का परीक्षा परिणाम **अलग–अलग पांच परिशिष्टों में** संलग्न करना है।

(4) **संस्था प्रधान के लिए विद्यालय की सभी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम अंकित करना है।**

हस्ताक्षर मय मोहर
संस्था प्रधान / नियन्त्रण अधिकारी

परिशिष्ट–7

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा देय प्रमाण पत्र

श्री / श्रीमती .... पद ....

जन्म तिथि ....विद्यालय ....

के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि : –

(1) इनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कानूनी कार्यवाही पूर्व में न तो चली है और न ही वर्तमान में विचाराधीन है।

(2) इनको पूर्व में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया हैं।

(3) इनके द्वारा जन सहयोग से कराये गये कार्यों के लिये पूर्व मे किसी अन्य शिक्षक को सम्मानित नही किया गया है।

(4) इनके प्रस्ताव के साथ वांछित क्रमानुसार प्रलेख संलग्न कर दिये गये है तथा प्रलेखों की जांच भी स्वयं द्वारा कर ली गई है।

हस्ताक्षर मय मोहर
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारम्भिक)

परिशिष्ट–8

गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों सम्बन्धी विभागीय जांच/कानूनी कार्यवाही सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....

जन्म तिथि (शब्दों में) .... पद ....

विद्यालय ....

दिनांक .... से लगातार इस विद्यालय में कार्यरत हैं। इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कानूनी कार्यवाही पूर्व में न तो चली है और न ही वर्तमान में विचाराधीन है।

संस्था सचिव के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट–9

गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... जन्म तिथि (शब्दों में) .... पद .... विद्यालय .... में दिनांक .... से लगातार कार्यरत हैं। गत 5 वर्षों की अवधि में इनका कार्य एवं व्यवहार इस प्रकार से रहा हैं :

क्र. सं.	वर्ष	स्केल		
		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा
1	2012–2013			
2	2013–2014			
3	2014–2015			
4	2015–2016			
5	2016–2017			

नोट :– संस्था सचिव द्वारा "स्केल" के अन्तर्गत किसी एक रेटिंग के कॉलम में लघु हस्ताक्षर किये जाने हैं।

संस्था सचिव के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट–10

छात्र/छात्राओं की खेलकूद उपलब्धियाँ

(शारीरिक शिक्षकों के लिए)

सत्र ....

शारीरिक शिक्षक का नाम : .... पद : ....

विद्यालय : ....

क्र0स0	खेल प्रवृति का नाम	संम्भागी छात्र संख्या	स्तर राष्ट्र/राज्य/जिला	प्रतियोगिता स्थल

हस्ताक्षर मय मोहर

संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी

नोट : गत 5 सत्रों की खेलकूद उपलब्धि का विवरण अलग–अलग सत्रवार 5 परिशिष्ठों में संलग्न करना है।

परिशिष्ट–12

विशेष शिक्षा में योगदान

क्र0 स0	वर्ष	प्रयास का विवरण	उपलब्धि (संख्यात्मक वृद्धि / राशि सहयोग / उपकरण संख्या / प्रशिक्षण / प्रचार / आयोजन का विवरण
1	2012–2013		
2	2013–2014		
3	2014–2015		
4	2015–2016		
5	2016–2017		

हस्ताक्षर मय मोहर
जिला शिक्षा अधिकारी / नियन्त्रण अधिकारी

नोट : प्रयास के समर्थन में प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। (सूक्ष्म अंक योजना के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार जो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित हो।

परिशिष्ट–11

जन–सहयोग का प्रमाण–पत्र

शिक्षक का नाम :– .... पद :– .... विद्यालय/संस्था का नाम :– ....

सत्र	भामाशाह का नाम एवं पता	विद्यालय/संस्था का नाम जहा शिक्षक के माध्यम से जनसहयोग उपलब्ध कराया गया।	निर्माण/सामग्री /नकद आदि मे से कराये गये कार्यों का विवरण	दानदाता द्वारा प्रदत्त राशि
2012–2013				
2013–2014				
2014–2015				
2015–2016				
2016–2017				

हस्ता0 मयमोहर
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)

नोट : राशि के लिए दानदाता का प्रमाण पत्र एवं निर्माण कार्य के लिए अभियन्ता का प्रमाण पत्र संलग्न करना है तथा संस्था प्रधान के उस पर प्रतिहस्ताक्षर मय नाम, पद, मोहर एवं दिनांक सहित अंकित हो।